न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/17/2020	2020/00063	10.09.2020	09.05.2022

1. सुरेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री कजोडमल सैनी, जाति माली निवासी ग्राम सूरेर, तहसील राजगढ, जिला अलवर।

अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार राजगढ, तहसील राजगढ, जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढ दिनांक 13.07.2015 नामान्तकरण संख्या 1058 वाके ग्राम सूरेर तहसील राजगढ।

उपस्थितः–

01. श्री प्रवीण मित्तल –वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट्स

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 13.07.2015 नामान्तकरण संख्या 1058 वाके ग्राम सूरेर तहसील राजगढ जिसके द्वारा नामान्तकरण विरासत का स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। विद्वान वक़ील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि साबिक खाता संख्या 22 ,हाल खाता संख्या 38 आराजी खसरा न0 105/0.05, 106/0.01, कुल किता 02 रकबा 0.06 है0 एंव साविक खाता संख्या 23 हाल खाता संख्या 31 आराजी खसरा न0 101/0.30, 102/0.25, 103/0.02, 107/0.20, 109/0.07, 114/0.02, 115/0.20, 12/1.15 कुल किता 08 रकवा 2.21 है0 ग्राम सूरेर तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। जिस आराजी के पूर्व में अपीलान्ट के पिता मृतक कजोड पुत्र भौरा बतौर खातेदार काबिज होकर काश्त किया करते थे। कालान्तर में अपीलान्ट के पिता कजोड पुत्र भौरा का स्वर्गवास हो गया। जिस पर मृतक कजोड की उपरोक्त खातेदारी की आराजी साबिक खाता संख्या 22 व 23 में दर्ज आराजी की विरासत का इंतकाल दर्ज कराने बाबत् निवेदन किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा दिनांक 13.07.2015 को मृतक कजोड की विरासत का इन्तकाल

09/05/2022
अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

संख्या 1058 अपीलान्ट उसकी माता केशर, भाई राजेन्द्र ,बहिन अनीता व बीना के पक्ष में दर्ज कर स्वीकार किया गया। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या द्वारा सहवन से अपीलान्ट का नाम सुरेन्द्र कुमार सैनी के स्थान पर सुरेश दर्ज कर दिया गया है। जिस आधार पर ही उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम सुरेश दर्ज हो गया है। उक्त त्रुटिपूर्ण नाम अपीलान्ट की खातेदारी की उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में बदस्तूर चला आ रहा है। जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम सुरेन्द्र कुमार सैनी है। जो अपीलान्ट के आधार कार्ड तथा समस्त शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाते हुए उक्त आराजी की जमाबन्दी में अपीलान्ट के त्रुटिपूर्ण नाम सुरेश के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार सैनी दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उक्त त्रुटिपूर्ण नाम अपीलान्ट की खातेदारी की उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में बदस्तूर चला आ रहा है जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम सुरेन्द्र कुमार सैनी है। जो नाम ही अपीलान्ट के आधार कार्ड तथा समस्त शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाते हुए उक्त आराजी की जमाबन्दी में अपीलान्ट के त्रुटिपूर्ण नाम सुरेश के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार सैनी दर्ज किया जाना सर्वथा न्यायोचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन करने पर जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा दिनांक 13.07.2015 को नामान्तकरण संख्या 1058 स्वीकार करते समय सहवन से अपीलान्ट का नाम सुरेश दर्ज कर दिया गया है जो दस्तावेजी साक्ष्यों आधार कार्ड, छात्र प्रवेश लेख/स्थानान्तरण प्रमाण पत्र दिनांक 14.12.2013, भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र एवं कार्यालय ग्राम पंचायत सूरेर की रिपोर्ट 14.09.2020 उक्त सभी में अपीलान्ट का नाम सुरेन्द्र कुमार सैनी अंकित है। उक्त सभी दस्तावेजों के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा दिनांक 13.04.2015 को नामान्तकरण संख्या 1058 स्वीकार करते समय सहवन से अपीलान्ट का नाम सुरेश दर्ज कर दिया गया है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2015 नामान्तकरण संख्या 1058 वाके ग्राम सूरेर तहसील राजगढ निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार राजगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के वारिसान की जांच कर एवं साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/05/2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर